## कोटद्वार : हाथी ने रौंदी गेहूं की फसल, मांगा मुआवजा

कोटद्वार/कण्वघाटी। भाबर के पश्चिमी इंद्रीचौड़ वार्ड-37 में शुक्रवार रात हाथी ने खेतों में जमकर उत्पात मचाया। इससे कई किसानों की गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने उनकी जान-माल की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने और बरबाद फसल का मुआवजा देने की वन विभाग से मांग की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद की वन रेंज के साथ ही लैंसडौन वन रेंज के बीच भाबर के वार्ड-37 के किसान इन दिनों जंगली जानवरों के उत्पात से परेशान हैं। संवाद

---

## कार्यालय-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग

विज्ञप्ति संख्या: 4140/ पशुधन/ विविध-पंजीकरण कैम्प/ 2025-26 दिनांक: 21.03.2026

### विज्ञप्ति

जनपद रूद्रप्रयाग के समस्त घोडा खच्चर स्वामियों को सूचित किया जाता है कि श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग हेतु घोडे खच्चरों के फिटनेस प्रमाणपत्र, माइक्रोचिपिंग, टैगिंग, रक्त सैम्पलिंग, पशुबीमा एवं पंजीकरण हेतु कैम्पों के प्रथम चरण का आयोजन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है-

| दिनांक | कैम्प का नाम | सम्मिलित ग्राम |
|---|---|---|
| 22.03.2026 | पिठोरा | देवली भणिग्राम, पिठोरा |
| | देवर | देवर, रूद्रपुर। |
| 23.03.2026 | गंगानगर | फलई, अगस्तमुनि, नाकोट, भौंसाल, रूमसी, डडोली, सिल्ला बामणगांव, पठालीधार। |
| | चोपता | दुर्गाधार, सतेराखाल, चोपता, चिमतोली, बावई। |
| 24.03.2026 | मैखण्डा | मैखण्डा, फाटा, जामू, खडिया, धानी, रैलगांव। |
| | त्रियुगीनारायण | त्रियुगीनारायण, तोषी। |
| 25.03.2026 | गौरीकुण्ड | गौरीकुण्ड, सीतापुर, सोनप्रयाग। |
| | बडासू | बडासू। |

उक्त कैम्पों में प्रतिभाग करने वाले घोडे खच्चर स्वामियों हेतु पूर्व जारी विज्ञप्ति अनुसार दिशा-निर्देशों को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे-

(डा० आशीष रावत)
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग।

---

## उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, टिहरी गढ़वाल
कारपोरेट आइडेंटिटी संख्या : U40109UR2001SGC025867 दूरभाष: 01376-233111 ईमेल: eddteh@yahoo.com

### विद्युत बाधित सूचना

विद्युत वितरण खण्ड टिहरी के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में आने वाले समस्त सम्मानित उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि 220/33 के०वी० उपकेन्द्र चम्बा में 33 के०वी० बस बार एवं 33 के०वी० पोषकों पर अनुरक्षण कार्य एवं 33 के०वी० पोषकों के सर्किट ब्रेकर बदलने का कार्य किया जाना है। जिस कारण निम्नलिखित क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बाधित रहेगी।

| दिनांक | समय | पोषक का नाम | प्रभावित क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 09:30 बजे से 17:30 बजे तक | 33 के०वी० तपोवन | 33/11 के०वी० उपसंस्थान खाड़ी, सकलाना, गजा, नरेन्द्रनगर एवं ढालवाला से पोषित होने वाले समस्त क्षेत्र। |
| | 09:30 बजे से 17:30 बजे तक | 33 के०वी० नई टिहरी प्रथम | 33/11 के०वी० उपसंस्थान नई टिहरी प्रथम पोषक, कमान्द, लम्बगांव एवं धौंतरी से पोषित होने वाले समस्त क्षेत्र। |
| 25.03.2026 | 09:30 बजे से 17:30 बजे तक | 33 के०वी० चम्बा | 33/11 के०वी० उपसंस्थान चम्बा से पोषित होने वाले समस्त क्षेत्र। |
| | 09:30 बजे से 17:30 बजे तक | 33 के०वी० नई टिहरी द्वितीय | 33/11 के०वी० उपसंस्थान नई टिहरी द्वितीय पोषक से पोषित होने वाले समस्त क्षेत्र। |
| | 09:30 बजे से 17:30 बजे तक | 33 के०वी० जाखणीधार | 33/11 के०वी० उपसंस्थान जाखणीधार, रजाखेत, घनसाली एवं चमियाला से पोषित होने वाले समस्त क्षेत्र। |
| | 09:30 बजे से 17:30 बजे तक | 33 के०वी० थत्यूड़ | 33/11 के०वी० उपसंस्थान थत्यूड़ से पोषित होने वाले समस्त क्षेत्र। |

अतः प्रभावित क्षेत्र के सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि कृपया विद्युत व्यवस्था के उक्त कार्य में विभाग का सहयोग प्रदान करें एवं उक्त समय हेतु विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था करने का कष्ट करें।

पत्रांक : 5628/वि०वि०ख०टि०/
दिनांक : 20.03.2026

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, टिहरी

"राष्ट्र हित में बिजली बचायें"
"Pay Electricity Bill Online 24 x 7 from upcl.org"
"विद्युत बिलों के 24x7 ऑनलाईन भुगतान हेतु www.upcl.org पर जायें"

---

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद रूदप्रयाग

पत्रांक: ट-2/2025 दिनांक: 21 मार्च, 2026

### विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 127 में किये गये प्राविधानों के अनुसार सड़क के किनारे अनधिकृत रूप से खडे वाहनों को हटाने के लिए पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर प्राइवेट केन के संचालन के लिए प्राइवेट केन संचालन की अनुमति उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 493/XX-6/2023-29069 दिनांक 14-7-2023 एवं पुलिस महानिरीक्षक/ निदेशक यातायात देहरादून के पत्र संख्या: डीजी-यात0-42/2020 दिनांक 2-12-2023 के द्वारा प्राप्त है।

अतः उक्त अनुमति के क्रम में इच्छुक केन ऑपरेटर/ फर्म अपनी-अपनी निविदा दिनांक 30-03-2026 को समय प्रातः 11.00 बजे तक पुलिस कार्यालय रूद्रप्रयाग में जमा किये जायेगें। निविदा तद्दिनांक को ही समय 12.00 बजे निविदादाताओं/ फर्म की उपस्थिति में खोली जायेगी, निविदा हेतु निम्न शर्ते/ प्राविधान निर्धारित किये जाते हैं:-

1- उक्त कार्य की अवधि दिनांक 15-4-2026 से 15-7-2026 तक की होगी। यह अवधि जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाई भी जा सकती है।
2- पर्वतीय मार्ग को दृष्टिगत रखते हुए केन छोटी मॉडल की हो, जिससे छोटे चार पहिया वाहनो जो मार्ग पर अनधिकृत रूप खडे है, को हटाने में प्रयोग में लायी जायेगी।
3- इच्छुक प्राइवेट केन ऑपरेटरों/ फर्म द्वारा निविदा में उपलब्ध कराये जाने वाली केन वाहन का मेक, मॉडल, संचालन की अनुमति आदि का स्पष्ट रूप से निविदा में अंकन किया जायेगा।
4- क्रेन का मासिक व्यय अथवा उनके द्वारा जिस दर पर विभाग में नियुक्त होकर वाहन हटाया जाना हो का विवरण अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित हो। निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित केन ऑपरेटर/ फर्म द्वारा अनुबन्ध पत्र भरा जायेगा।
5- न्यूनतम निविदा वाले फर्म केन आपरेटर की निविदा स्वीकृत की जायेगी।
6- न्यूनतम निविदा के माध्यम से स्वीकृत केन वाहन को पुलिस विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार जनपद की परिसीमा में कहीं भी भेजा जा सकता है तथा शेष खाली अवधि में सम्बन्धित केन ऑपरेटर अधोहस्ताक्षरी की अनुमति प्राप्त कर अपने निजी कार्य में केन वाहन को ले जा सकता है।
7- निविदा की विस्तृत जानकारी परिवहन शाखा पुलिस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग

---

# 11 हजार एकड़ में बनेंगे चार नए औद्योगिक क्षेत्र

## खानपुर, खुरपिया, नेपा फार्म और काशीपुर के कताई मिल में औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित

## सिडकुल तैयार कर रहा डीपीआर

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। प्रदेश में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए 11 हजार एकड़ क्षेत्रफल में चार नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे विनिर्माण क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए जमीन की कमी नहीं रहेगी। सिडकुल की ओर से औद्योगिक क्षेत्रों की डीपीआर तैयार की जा रही है।

प्रदेश में उत्तराखंड राज्य आधारसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से अब तक सात औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए। इन औद्योगिक क्षेत्रों में नए उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2023 में वैश्विक निवेशक सम्मेलन कर 3.56 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू किया। इसमें एक लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव की ग्राउंडिंग हो चुकी है। नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऊधमसिंह नगर जिले के एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर खुरपिया, कताई मिल काशीपुर, नेपा फार्म व हरिद्वार जिले के खानपुर में औद्योगिक क्षेत्र के जगह चिह्नित की है। इसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट के लिए हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर में जमीन उपलब्ध है। इसमें हरिद्वार में 248 एकड़ जमीन में 18 उद्योग और ऊधमसिंह नगर में 464 एकड़ में आठ मेगा प्रोजेक्ट लग सकते हैं।

राज्य गठन से अब तक उत्तराखंड में 95 हजार एमएसएमई व 329 बड़े उद्योग स्थापित हैं। इसमें पांच लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने व रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय ने बताया कि प्रदेश में चार नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने से बड़े उद्योगों के लिए जमीन की कमी नहीं होगी। सरकार का प्रयास है कि निवेशकों को बेहतर अवस्थापना सुविधा का लाभ मिले।

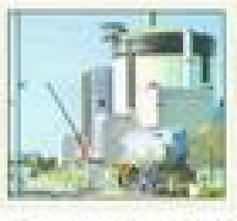

| प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र | क्षेत्रफल एकड़ में |
|---|---|
| एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर खुरपिया | 1002.15 |
| खानपुर | 56.12 |
| कताई मिल काशीपुर | 52 |
| नेपा फार्म | 789.54 |

---

# गढ़वाल, कुमाऊं के बाद अब जिलास्तर पर होंगी जनसभाएं

अमर उजाला ब्यूरो

### आगामी चुनाव के लिए सरकार व संगठन सक्रिय

देहरादून। चार साल का कार्यकाल के उपलक्ष्य पर धामी सरकार व भाजपा संगठन आगामी चुनाव तक सक्रिय रहेगी। गढ़वाल व कुमाऊं में दो बड़ी जनसभा करने के बाद अब जिला स्तर पर पर जनसभा व रैलियां होंगी।

सरकार के तरकश में चार साल में लिए गए सख्त फैसलों व उपलब्धियों के तीर हैं। वहीं, भाजपा जनसभा व रैलियों के माध्यम से चुनावी माहौल बनाने के साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाएगी। धामी सरकार ने चार साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत पहली जनसभा हरिद्वार के बैरागी कैंप आयोजित की थी। इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियों को सराहा। वहीं, विकास के नाम पर 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने की अपील की।

इसके बाद दूसरी बड़ी जनसभा शुक्रवार को हल्द्वानी में हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में चार सालों में राज्य में किए गए विकास कार्यों व ऐतिहासिक फैसलों को गिनाया और कहा, धामी सरकार में उत्तराखंड में धुआंधार विकास हो रहा है।

गढ़वाल व कुमाऊं की जनसभा से भाजपा चुनाव मैदान में उतर चुकी है। सरकार व संगठन की ओर से हर जिला स्तर पर भी जनसभा व रैली की जाएगी। इन रैलियों के माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाएगी। वहीं, भाजपा भी चुनाव रणनीति को धार देगी।

रैलियों में सरकार समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, दंगारोधी कानून, जबरन धर्मांतरण रोकथाम कानून, मदरसा बोर्ड को खत्म करने, सरकारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जैसे निर्णय के साथ सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी व अन्य अवस्थापना विकास समेत अन्य उपलब्धियों को सामने रखेगी।

---

## उक्रांद ने किया मूल निवास भू कानून प्रकोष्ठ का गठन, टोडरिया बने अध्यक्ष

**बोले- उक्रांद के बैनर तले लड़ी जाएगी मूल निवास भू-कानून की लड़ाई**

देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल ने मूल निवास भू-कानून प्रकोष्ठ का गठन किया है। सुमन टोडरिया को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष टोडरियाल का कहना है कि मूल निवास भू कानून की लड़ाई अब उक्रांद के बैनर तले लड़ी जाएगी।

उक्रांद के केंद्रीय उपाध्यक्ष सुनील कोटनाला ने प्रेस क्लब में मीडिया से वार्ता में कहा, उत्तराखंड क्रांति दल मूल निवास भू कानून के मुद्दे पर हमेशा प्रमुखता से मुखर रहा है। दल ने इस पर हमेशा से अपना रुख स्पष्ट रखा है। जिसे देखते हुए आज मूल निवास भू कानून प्रकोष्ठ का गठन करते हुए इस लड़ाई को तेज करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट ने कहा, उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश भर में आंदोलन करने वाले युवाओं को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इसी क्रम में मूल निवास भू कानून आंदोलन का नेतृत्व करने वाले युवा सुमन टोडरिया को मूल निवास भू कानून प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मीडिया से वार्ता के दौरान उक्रांद ओबीसी प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष पंकज पैन्यूली, राकेश नेगी, महानगर युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जतिन चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष पैड़ी दीप्ति, कनिष्क जोशी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो

---

# अंतिम वर्ष में सरकार अधिक क्षमता और गति से विकास कार्यों को बढ़ाएगी : भट्ट

## बोले, भाजपा सबको अपनाती है, कांग्रेस अपनों को भी नहीं स्वीकारती

देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, अंतिम वर्ष में सरकार अधिक क्षमता और गति से विकास कार्यों व कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाएगी।

कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए भट्ट ने कहा, भाजपा में आकर तो सब हमारे हो जाते हैं लेकिन अफसोस कांग्रेस तो अपनों को भी नहीं स्वीकारती है। इसीलिए जनता कांग्रेस को नकारती है। केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से हुआ मंत्रिमंडल विस्तार कार्यकर्ताओं की भावनाओं और जनता की अपेक्षा के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल, कुमाऊं, मैदानी क्षेत्रों से लेकर लेकर समाज के सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा है। इस विस्तार से जो खुश नहीं है वो है विपक्ष है। उन्होंने भाजपा कैडर आधारित पार्टी है, जिसमें प्रत्येक को एक समान भाव से स्वीकारा जाता है और जिम्मेदारी दी जाती है। कांग्रेस पार्टी, भाजपा संगठन की भावना से पूरी तरह अछूती और अपने पाप के विचारों से ग्रसित है।

उन्होंने कहा, विपक्ष को एक वर्ष का समय कम लगता है, लेकिन भाजपा समय का प्रत्येक क्षण और शरीर के एक एक कण का उपयोग करने की मंशा से काम करती है। लिहाजा एक वर्ष भी हमारे लिए पर्याप्त और बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार चौगुनी गति से काम करने वाली है। हम विकास कार्यों के चौके छक्के लगाएंगे। ब्यूरो

---

## अदालती सूचना

समक्ष माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक) देहरादून।
वाणिज्यिक वाद संख्या– 128
वर्ष–2024
मैसर्स टिहरी आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज
बनाम
मैसर्स साईं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर आदि

प्रतिवादीगण :–

1. मैसर्स साईं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर, बीनी मोहल्ला रोड, निकट रिवोक फैक्ट्री, डालवाला, मुनी की रेती, जिला टिहरी गढ़वाल, द्वारा प्रोप्राइटर श्री आकाश गौड़।
2. श्री आकाश गौड़, प्रोप्राइटर मैसर्स साईं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर, निवासी 21–मैन बाजार, ऋषिकेश, जिला देहरादून।

चूंकि वादी उपरोक्त ने आपके विरुद्ध ऋण वसूली करने 6,42,334.00/– के लिए वाद संस्थित किया है, आपको उक्त न्यायालय में तारीख 13.04.2026 को प्रातः 10:00 बजे वादी का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए सम्मन किया जाता है। आप उक्त वाद में जवाबदावा इस सम्मन/नोटिस के समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत करें। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर/अधिवक्ता द्वारा उपसंजात (हाजिर) हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके, न्यायालय में आपकी उपसंजाति के लिए जो दिन नियत किया गया है, वह इस वाद के अंतिम निपटारे के लिए नियत दिन है।

इसलिए आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को, या, उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप दिनांक 13.04.2026 को इस न्यायालय में उपसंजात (हाजिर) नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और निपटारा आपकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय सुना जायेगा।

आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा सहित जारी किया गया।

आज्ञा से
प्रबन्धक
अपर जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक)
देहरादून।

---

## रानीपोखरी के लिस्टराबाद में जल्द बने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय : जुगरान

देहरादून। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने कहा, राज्य गठन के 25 साल बाद भी राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नहीं है।

जबकि अधिकतर सभी राज्यों में विधि विश्वविद्यालय है। भाजपा नेता ने कहा, देहरादून रानी पोखरी के लिस्टराबाद में मार्च 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसका भूमि पूजन किया था।

उन्होंने कहा उत्तराखंड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का अधिनियम वर्ष 2011 एवं संशोधित अधिनियम वर्ष 2018 में बन चुका है। उत्तराखंड के साथ अस्तित्व में आए अन्य दो राज्यों छत्तीसगढ़ व झारखंड में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय वर्ष 2003 व 2010 में बन गए थे।

हिमाचल, असम, मेघालय त्रिपुरा सहित सभी हिमालयी राज्यों में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बन चुके हैं। जम्मू-कश्मीर में स्थान के चयन के कारण मामला अधर में है।

इसके अलावा देश के लगभग सभी राज्यों में राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय बहुत पहले ही बन चुके हैं। ब्यूरो

---

## कार्यालय जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/ जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड रूद्रप्रयाग

पत्रांक: 3482/ निर्वा०/ सभा०प०आ०/2025-26 दिनांक: 20/3/2026

### प्रेस विज्ञप्ति

एतद्वारा उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली 2004 के नियम 28 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रारम्भिक सहकारी समिति लि० के वर्गवार सभापति पद हेतु महिला आरक्षण के 33 प्रतिशत का निर्धारण कर प्रस्तावित अनन्तिम अवधारण का प्रकाशन उपरान्त उन पर 07 दिनों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आपत्ति हेतु आमन्त्रण किया जाता है, जिनका निराकरण प्रकाशन के 13 वें (तेरहवें) दिन जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड रूद्रप्रयाग के कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रातः 11.00 बजे से किया जायेगा। सभापति पद हेतु प्रस्तावित 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की वर्गवार अवधारण निम्न प्रकार है:-

कार्यालय जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/ जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड रूद्रप्रयाग

अन्य प्रकार की प्रारम्भिक सहकारी समितियों के अनन्तिम सभापति आरक्षण सूचना वर्ष 2026

| क्र. सं. | विकास खण्ड | नाम समिति व पता | निबंधन संख्या | दिनांक | सभापति पद पर आरक्षण की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) श्रम संविदा सहकारी समिति लि० | | | |
| 1 | मन्दाकिनी | देव भूमि श्रम संविदा सहकारी समिति लि० स्तूड़ा | यू०आर०-06 | 30.07.2009 | महिला आरक्षित |
| 2 | जखोली | बहुउद्देशीय श्रम संविदा सहकारी समिति लि० सुमाड़ी (भरदार) | यू०आर०-11 | 19.01.2013 | अनारक्षित |
| 3 | मन्दाकिनी | साईनाथ श्रम संविदा सहकारी समिति लि० दिओली (लदोली) | यू०आर०-08 | 21.08.2010 | अनारक्षित |
| | | (2) कृषक उत्पादक सहकारी समिति लि० | | | |
| 2 | ऊखीमठ | हिमालन भेड़-बकरी कृषक उत्पादन संगठन सहकारी समिति लि० कोटमा | यू०आर०-43 | 01.06.2024 | अनारक्षित |
| | | (3) प्रारम्भिक अन्य सहकारी समितियाँ | | | |
| 1 | जखोली | ग्रामोदय सह०स०लि० बजीरा | 24 | 02.07.2018 | अनारक्षित |

जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/
जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, रूद्रप्रयाग।

---

## पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

**नीलामी सूचना**
**E-Auction के आधार पर**

परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति प्रबंधन, पीएनबी भवन सी 01 वेद्व व्यास पुरी, दिल्ली बाईपास रोड, मेरठ– 250002, ई–मेलः cs8278@pnb.bank.in

ई–नीलामी विक्रय सूचना सिक्योरिटाइजेशन एवं पुनर्निर्माण वित्तीय आस्तियों तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित।

इसके द्वारा सामान्य जनसाधारण को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पक्ष में बंधक/चार्ज की गई है तथा जिसकी निर्मित/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा बैंक/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी है'' के आधार पर विक्रय किया जाएगा। यह विक्रय संबंधित उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) से बैंक/सुरक्षित ऋणदाता के बकाया देयकों की वसूली हेतु किया जा रहा है। संबंधित संपत्तियों के लिए आरक्षित मूल्य तथा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

| क्र0 सं0 | शाखा/खाता/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता | चल/अचल सम्पत्ति का विवरण दृष्टिबंधक/प्रभार/बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधककर्ता) | (ए) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(2) की तिथि<br>(बी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धार 13 (2) के तहत मांग सूचना<br>(सी) दिनांक 28.02.2026 तक शेष राशि<br>(डी) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(4) की तिथि<br>(ई) कब्जे के प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/सांकेतिक | (ए) रिर्जव मूल्य (लाख में)<br>(बी) ईएमडी मूल्य एवं जमा करने तिथि एवं समय<br>(सी) बोली वृद्धि राशि | ई–नीलामी की तिथि/दिनांक<br>सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि | बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शाखाः कोर्ट रोड, मुजफ्फरनगर (182100)<br>**1.** मैसर्स अनुराग ट्रेडिंग (प्रोपराइटर- अनुराग त्यागी), पताः मकान संख्या 4, केवलपुरी, सदर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251002, मो0 नं0 9639969169, **2.** श्री अनुराग त्यागी पुत्र श्री हरिओम त्यागी **(ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता)**, पताः मकान संख्या 4, केवलपुरी, सदर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251002, मो0 नं0 9639969169, अतिरिक्त पताः मकान संख्या 83/83, नया नंबर 41डी, सेवक आश्रम रोड, मुख्य राजपुर रोड से 300 मीटर, देहरादून- 248001, **3.** श्रीमती अवि त्यागी, पत्नी श्री अनुराग त्यागी **(गारन्टर)**, पताः मकान संख्या 4, केवलपुरी, सदर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251002, मो0 नं0 7055777840 | बंधक व्यावसायिक संपत्ति संख्या 83/83 (नया नंबर 41 डी), सेवक आश्रम रोड, नगर निगम क्षेत्र देहरादून सम्पत्ति स्वामी श्री अनुराग त्यागी पुत्र श्री हरिओम त्यागी, माप क्षेत्रफल 115.29 वर्ग मीटर, उप पंजीयक देहरादून के कार्यालय, बही नंबर 1, जिला संख्या 8304, पृष्ठ संख्या 273 से 298 तक, पंजीकरण क्रमांक 1249 दिनांक 10.03.2023 पर पंजीकृत है। सीमाएँ: पूर्वः श्री रावत एवं अन्य की संपत्ति, पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः श्री शम्मी मोहन की संपत्ति, दक्षिणः श्री ओमकार सिंह त्यागी की संपत्ति। | (ए) 03.11.2025 (बी) रू0 88,31,361.82 + प्रभावी ब्याज दिनांक 31.10.2025 एवं अन्य खर्चे यदि कोई हो<br>(सी) रू0 89,34,864.63 + ब्याज दिनांक 28.02.2026 + कानूनी एवं अन्य खर्चे (डी) 19.01.2026<br>(ई) सांकेतिक कब्जा | रू0 90.00 लाख<br>रू0 9.00 लाख 27.04.2026 04.00 बजे तक<br>रू0 0.90 लाख | 28.04.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक<br>27.04.2026 | ज्ञात नहीं |

विक्रय सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) नियम, 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तो के अधीन होगा तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगीः-

1. संपत्तियों का विक्रय ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी है'' के आधार पर किया जाएगा।
2. उपरोक्त अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, तथापि इस घोषणा में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत विवरण अथवा चूक के लिए प्राधित अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
3. विक्रय, अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी मंच के माध्यम से www.pnbindia.in एवं https://baanknet.in वेबसाइट पर दिनांक 28.04.2026 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक किया जाएगा।
4. ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता को आरक्षित मूल्य से कम से कम एक बोली अधिक लगाना अनिवार्य होगा।
5. विक्रय की विस्तृत शर्तों एवं नियमों के लिए कृपया www.pnbindia.in एवं https://baanknet.com वेबसाइट देखें।

हस्ताक्षरित-
श्री नवीन प्रकाश (मोबाइल नंबरः 7060208081)
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक

दिनांकः 21.03.2026 स्थान – मेरठ प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार